

भारत गणराज्य के सरकार और गुजाना गणराज्य के सरकार
के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य के सरकार
और

गुजाना गणराज्य के सरकार

दोनों देशों के लोगों के बीच विद्यमान सांस्कृतिक सम्बन्धों को
ध्यान में रखते हुए,

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संविधान
के उच्च आदर्शों की भावना के अनुकूल घनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित
एवं विकसित करने के सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

भारत तथा गुजाना के बीच ऐसे सम्बन्धों और सद्भावना के,
विशेषकर संस्कृत, कलाओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में,
हर सम्भव तरीके से संप्रवर्धित तथा विकसित करने के इच्छा से,

निम्नलिखित सांस्कृतिक करार करने का निश्चय किया है :

अनुच्छेद - I

संविदाकारी पक्षकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों, उच्च अध्ययन
के स्कूलों और संस्थाओं, तकनीकी, वैज्ञानिक और कला संस्थाओं, प्रयोगशालाओं
और अनुसंधान संस्थाओं, पुस्तकालयों और संग्रहालयों के बीच सहकारित्व को
प्रोन्नत और प्रोत्साहित करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविदाकारी
पक्षकार अपने-अपने आन्तरिक विधान के अनुसार निम्नलिखित को प्रोत्साहित
करेंगे :-

- (क) संस्कृत, शिक्षा, विज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में प्रतिनिधियों
का आदान-प्रदान और इन क्षेत्रों से संबंधित सम्मेलनों में
उनके अपने-अपने देशों के प्रतिनिधिमण्डलों का भाग लेना।
- (ख) पुस्तकें, पत्रिकाओं और अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और
सांस्कृतिक प्रकाशनों के अनुवाद सहित सांस्कृतिक, वैज्ञानिक
और शैक्षिक सामग्री का विनिमय।

अनुच्छेद - II

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार सांस्कृतिक, तकनीकी, शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अध्ययन के लिए दूसरे पक्षकार के देश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद - III

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार वैज्ञानिक, तकनीकी और कला प्रदर्शिनियों के विनिमय को प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद - IV

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, प्रेस तथा अन्य ऐसे ही जन-साधनों के जरूर दूसरे पक्षकार के देश को विशेष सांस्कृतिक परम्पराओं को जनकारी के प्रसार को प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद - V

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद - VI

दोनों संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे :-

- (क) कलाकारों द्वारा प्रदर्शन ;
- (ख) एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ; और
- (ग) फिल्म, वृत्त-चित्र, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम और डिस्क तथा टेप रिकॉर्डिंग ।

अनुच्छेद - VII

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि शैक्षिक-संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक प्रश्ननों में दूसरे पक्षकार के देश के संबंध में कोई त्रुटि अथवा मिथ्यावर्णन न हो ।

अनुच्छेद - VIII

प्रत्येक संविदाकारो पक्षकार इस बात से सुकर बनाने के लिए अपनी सेवारं पेश करेगा कि अपने क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाएं, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त और उक्त क्षेत्र के केन्द्रीय शिक्षा प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों से मान्यता दें ।

अनुच्छेद - IX

भारत सरकार अपनी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से गुजाना से संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन से सुकर बनाएगी और प्रोत्साहित करेगी । गुजाना से सरकार अपनी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन से सुकर बनाएगी और प्रोत्साहित करेगी ।

अनुच्छेद - X

पर्यटन के प्रोत्साहन में समान ढित से दृष्टि से तथा इस बात से अनुभव करते हुए कि इस क्षेत्र में बनिष्ठतर सहयोग से ही पारस्परिक लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं ; संविदाकारो पक्षकार,

- (क) अपने अपने नियमों और विनियमों के अनुसार दोनों देशों के बीच पर्यटन से प्रोत्साहन देने और यात्रा से सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हैं ;
- (ख) पर्यटन के प्रोत्साहन तथा विपणन में रत संगठनों के बीच करारों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पारस्परिक आधार पर तकनोसे सहायता और विशेष जानकारो प्रदान करने के लिए सहमत हैं ; तथा
- (ग) इस बात के लिए भी सहमत हैं कि अपने-अपने देशों में पारस्परिक प्रचार की व्यवस्थाएं शुरू की जानी चाहिये और प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों से प्रयोग करते हुए उन्हें धीरे धीरे और बढ़ाया जाना चाहिये ।

अनुच्छेद - XI

वर्तमान करार संविदाकारी पक्षकारों के अनुमोदन की शर्त पर होगा और इसप्रकार के अनुमोदन पर राजनयिक आलेखों के विनिमय की तारीख से लागू होगा ।

वर्तमान करार तब तक लागू रहेगा, जब तक कि कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में छः महीने का नोटिस देकर इसे अवसित न करे ।

जिसके साक्ष्य में, इस उद्देश्य के लिए यथा प्राधिकृत, हम निम्न हस्ताक्षरित प्रतिनिधियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।
जार्जटाउन में 1896 (शक) के भौष मास के नौवें दिन तदनुसार 1974 (ईसवी सन्) के दिसंबर के 30 वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में किया गया । दोनों पाठ समानतः प्रमाणित होंगे, किन्तु सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।


भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

गुजाना गणराज्य की
सरकार की ओर से

गोपाल सिंह

(गोपाल सिंह)

गुजाना में भारत का उच्चायुक्त



(श्रीदत्त सुरेन्द्रनाथ रामफल)

विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUYANA

The Government of the Republic of India
and
The Government of the Republic of Guyana

TAKING note of the cultural affinities which have existed between the people of the two countries,

INSPIRED by a common desire to establish and develop closer cultural relations in the spirit of the high ideals of the Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, and

DESIRING to promote and develop in every possible manner such relations and understanding between India and Guyana, especially in the realm of culture, the arts, science, technology and education,

HAVE AGREED TO conclude the following Cultural Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall endeavour to promote and stimulate cooperation between universities, academies, schools and institutions of higher learning, technical, scientific and art institutions, laboratories and research institutions, libraries and museums. To achieve this objective, the Contracting Parties shall encourage in accordance with their respective internal legislation:-

- a) exchange of representatives in the field of culture, education, science and the arts and participation of delegations from their respective countries in Conferences in these fields.

- b) exchange of cultural, scientific and educational material, including translations of books, periodicals and other scientific, technical and cultural publications.

ARTICLE II

Each Contracting Party shall provide scholarships to students from the country of the other party for studies in cultural, technical, educational and scientific fields.

ARTICLE III

Each Contracting Party shall encourage exchange of scientific, technical and art exhibitions.

ARTICLE IV

Each Contracting Party shall encourage the dissemination of knowledge of the distinctive cultural patterns of the country of the other through radio, press and other similar mass media.

ARTICLE V

Each Contracting Party shall encourage exchanges in the field of sports and physical education.

ARTICLE VI

Both Contracting Parties shall facilitate exchanges in the following fields:-

- a) performances by artistes;
- b) participation in each other's international film festivals; and
- c) films, documentaries, radio and television programmes, and recordings on discs and tapes.

ARTICLE VII

Each Contracting Party shall endeavour to ensure that text-books and other educational publications prescribed for educational institutions do not contain any error or misrepresentation about the country of the other Party.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall use its good offices to facilitate recognition by the universities and other educational institutions in its territory of the degrees, diplomas and certificates awarded by the universities and other institutions in the territory of the other and recognised by the Central Education Authority of that territory.

ARTICLE IX

The Government of India shall facilitate and encourage the study of Guyanese culture and civilisation through its academic and cultural institutions. The Government of Guyana shall facilitate and encourage the study of Indian culture and civilisation through its academic and cultural institutions.

ARTICLE X

Considering their common interest in the promotion of tourism and realising that mutual benefits can be derived from closer cooperation in this field the Contracting Parties,

- a) agree to take all necessary steps to encourage tourism and facilitate travel between the two countries, in accordance with their respective laws and regulations;
- b) agree to offer, on a reciprocal basis, technical assistance and expertise for specific projects in the contracts between the organisations engaged in the promotion and marketing of tourism; and
- c) further agree that reciprocal publicity arrangements should be introduced in their respective countries and gradually intensified using all available media of publicity.

ARTICLE XI


The present Agreement shall be subject to approval by the Contracting Parties and shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes on such approval.

The present Agreement shall continue to be in force until terminated by either Party by giving to the other a six months' notice in writing.

IN WITNESS WHEREOF, we the undersigned representatives, duly authorised for this purpose, have signed the present Agreement.


DONE in duplicate at *Georgetown* on this *9th* day of *Pausa* 1896 (Saka) corresponding to *30th* day of *December* 1974 (A.D.) in Hindi and English languages, both texts being equally authentic, except in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



(GOPAL SINGH)
HIGH COMMISSIONER
FOR INDIA IN GUYANA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF GUYANA



(SHRIDATH SURENDRANATH RAMPHAL)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS.